कानाराम बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	[illegible] [illegible] 111/2022	

12.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 19.12.2022 को पेश हों।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

19.12.2022

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111/2022	2022/273	22.08.2022	19.12.2022

उनवान प्रकरण

1. कालूराम पुत्र भोमाराम
2. सीताराम पुत्र भोमाराम
3. झूमा देवी पत्नी स्व0 हणमान
4. छोटी देवी पत्नी स्व0 कानाराम पुत्रवधू हणमान आयु 60 वर्ष
5. बाबूलाल पुत्र स्व0 कानाराम पोत्र हणमान आयु 26 वर्ष
6. सजना देवी पुत्री स्व0 कानाराम पौत्री हणमान आयु 30 वर्ष
7. मूली देवी पुत्री स्व0 कानाराम पौत्री हणमान आयु 28 वर्ष
8. रामलाल पुत्र स्व0 हणमान आयु 50 वर्ष
9. गोपाल पुत्र स्व0 हणमान आयु 47 वर्ष
10. हरलाल पुत्र स्व0 हणमान आयु 40 वर्ष
11. ग्यारसी देवी पुत्री स्व0 हणमान आयु 55 वर्ष
12. मीरा देवी पुत्री स्व0 हणमान आयु 44 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— — वादीगण— —

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र भूराराम आयु 55 वर्ष
2. कजोडमल पुत्र भूराराम आयु 48 वर्ष
3. रामदेव पुत्र भूराराम आयु 45 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4. बल्लूराम पुत्र भूराराम आयु 42 वर्ष
5. गोविन्दराम पुत्र स्व0 गोरूराम आयु 60 वर्ष
6. गुलाबी देवी पत्नी स्व0 श्योलाराम पुत्रवधू गौरूराम
7. जगदीश पुत्र स्व0 श्योलाराम पोत्र स्व0 गोरूराम आयु 30 वर्ष
8. सांवरमल पुत्र स्व0 श्योलाराम पोत्र स्व0 गोरूराम आयु 60 वर्ष
9. मिश्री देवी पत्नी स्व0 पोखर पुत्रवधू गोरूराम आयु 60 वर्ष
10. विजयसिंह पुत्र स्व0 पोखर पौत्र गोरूराम आयु 20 वर्ष
11. रमेशचन्द्र पुत्र स्व0 पोखर पोत्री गोरूराम आयु 30 वर्ष
12. राजकुमारी पुत्री स्व0 पोखर पौत्री गोरूराम आयु 30 वर्ष
13. फूलाराम पुत्र स्व0 गोरूराम आयु 50 वर्ष
14. भंवरी देवी पुत्री स्व0 गोरूराम आयु 52 वर्ष
15. भगवानी देवी पुत्री स्व0 गोरूराम आयु 52 वर्ष
16. संतोष देवी पुत्री स्व0 गोरूराम आयु 45 वर्ष
17. नन्छी देवी पुत्री स्व0 गोरूराम आयु 42 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल खण्डेला जिला सीकर राज0

18. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से।

दावा बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 8.01 है0 तन ग्राम सिमारला (जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके हिस्सा 1/9 की खातेदारी वादी संख्या 1, हिस्सा 1/9 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/9 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज हैं। भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 653 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 तन ग्राम सिमारला (जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसमें हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/3 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज हैं। भूमि खसरा नम्बर 1687/703, 1688/703, 654, 662 कुल किता 4 कुल रकबा 3.23 है0 तन ग्राम सिमारला (जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके हिस्सा 1/9 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/9 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/9 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 647, 652 कुल किता 2 कुल रकबा 4.64 है0 तन ग्राम सिमारला (जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसमें हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/10 वादी संख्या 2 व हिस्सा 3/20–3/20 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के कुल 6/10 हिस्सा व हिस्सा 1/5 मृतक गोरूराम पुत्र कुशलराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.12 है0 तन ग्राम सिमारला (जागीर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसमें हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/10 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/5 का मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज हैं व हिस्सा 1/10–1/10 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण 1 ता 4 व गोरूराम पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज भूमियां व पक्षकारान के नाम दर्ज अन्य भूमियों बाबत् पारिवारिक बाह्मी बंटवारा होकर ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित भूमियां का हिस्सा ... वादीगण संख्या 1 व 2 के हक हिस्से में व हिस्सा 1/2 वादीगण संख्या 3 ता 12 के पूर्वज हणमान पुत्र कुशलाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

19/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्से में आया हुआ है व ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर हाल खण्डेला जिला सीकर राज0 में स्थित भूमियां प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 17 के पूर्वज गोरूराम पुत्र कुशलाराम के बाह्मी बंटवारो मे आयी हुयी है। इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व वर्तमान में भी उक्तानुसार काबिज है। उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत् एक वाद बजरंगलाल वगैरह बनाम कालूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 152/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया गया था कि जो बाद राजीनामा दिंनांक 04.07.2012 को डिक्री फरमाया गया था। उक्त डिक्री व निर्णय की इजराय प्रस्तुत होकर पटवारी हल्का के निर्णय व डिक्री अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत इजराय आदेश दे दिया गया था व पक्षकारान को तत्कालीन पटवारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निर्णय व डिक्री के साथ राजीनामा अनुसार खातेदारी दर्ज कर दी जावेगी। इसी अनुसार वादीगण पूर्णतया आश्वस्त थे। दिनांक 20.04.2022 को वादीगण किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने व रिकार्ड जमाबंदी देखने पर पता चला की पूर्व डिक्री व निर्णय में हुए राजीनामा अनुसार खातेदारी दर्ज नही हुयी। इसका कारण पूछा तो पटवारी ने कहा कि निर्णय व डिक्री में स्पष्ट आदेश नही होने से उक्त त्रुटि हुयी हैं तब वादीगण ने इस राजीनामा अनुसार खातेदारी दर्ज करने बाबत् पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय हाजा से पुनः आदेश कराने पर ही अमल करने बाबत् कहां साथ ही वादपत्र की मद नं. 4 व 5 में वर्णित भूमियों का उल्लेख पूर्व वाद में भूलवश सहवन से नही हो सका था। इसी कारण मजबूर होकर यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादीगण पूर्व बंटवारा बाह्मी अनुसार तन् ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की भूमियों पर काबिज काश्त है। जिसकी खातेदारी उनके नाम दर्ज नही होने से उन्हे सख्त हकतल्फी है। खातेदारी के अभाव में वादीगण सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की सुविधाओं से भी वादीगण को वंचित रहना पडता हैं। इस कारण उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादकारण दिनांक 20.04.2022 को पूर्व निर्णय व डिक्री में राजीनामा अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने व वादपत्र की मद नम्बर 4 व 5 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

19/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमियों को पूर्व वाद में सहवन से भूलवश उल्लेख नही होने से व वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही हो सकने के कारण वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। बिनाय दावा दिनांक 20.04.2022 को पूर्व निर्णय व डिक्री में राजीनामा अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने व वादपत्र की मद नं. 4 व 5 में वर्णित भूमियों को पूर्व वाद में सहवन से भूलवश उल्लेख नही होने से व वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही हो सकने के कारण यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया वाद अन्दर मियाद हैं। खातेदार गोरूराम पुत्र कुशलाराम का देहान्त हो चुका हैं जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 17 होने से उन्हे आवश्यक पक्षकारा बनाया गया हैं। वादीगण ने दावा पेश कर घोषणा की जावे कि तन् ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 8.01 है0 में वादीगण संख्या 1, 2 व मृतक हणमान के नाम दर्ज हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 कुल 1/3 में 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/6 के वादीगण संख्या 3 ता 12 हिस्सा बराबर–बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 653 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 मे दर्ज हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/3 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज में से कुल हिस्सा 1/2 वादी नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/2 हिस्सा वादी नं. 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1687/703, 1688/703, 654, 662 कुल किता 4 कुल रकबा 3.23 है0 मे हिस्सा 1/9 वादी संख्या 1, 1/9 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/9 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज है। संपूर्ण भूमि में उक्त हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/6 हिस्सा में वादीगण संख्या 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर एवं भुमि खसरा नम्बर 647, 652 कुल किता 2 कुल रकबा 4.64 है0 मे हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 हिस्सा 3/20–3/20 प्रतिवादीगण [illegible] हिस्सा व हिस्सा 1/5 मृतक गोरूराम के नाम दर्ज इस प्रकार संपूर्ण भूमि [illegible] में आधी भूमि हिस्सा 1/4 के वादी संख्या 1 व हिस्सा [illegible] व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर व भुमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.12 है0 में

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी …

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/10 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/5 हणमान पुत्र कुशलाराम व हिस्सा 1/10 – 1/10 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज इस प्रकार संपूर्ण भूमि में हिस्सा 1/2 के वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का नाम व मृतक गोरूराम पुत्र कुशलाराम का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी में उक्तानुसार खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश जरिए डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल कराये जाने एंव प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों में बंटवारे के अनुसार वादीगण के हक हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न नही करे, ना ही दीगर से करावे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें, या करावे जिससे वादीगण के विधिक हक हकुको पर कुठारघात हो। वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर ईकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या 18 की तामील सम्यक तरीके से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 18 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी कालू राम पुत्र भोलाराम, गोपाल पुत्र हणमान व वादीगण साक्ष्य गवाह में बजरंग लाल पुत्र भूराराम व फूलाराम पुत्र गोरूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने व प्रकरण में साक्ष्य वादीगण पेश हो जाने से वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: Self Attested

19/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल पांच जमाबन्दीयाँ, पूर्व वादपत्र उनवानी बजरंगलाल वगै0 बनाम् कालूराम वगै0 दावा मुकदमा संख्या 152/2011 की पत्रावली की आदेशिका, मूल वादपत्र व राजीनामा एंव डिकी, इकबाली जवाब दावा व साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत साक्ष्य वादीगण व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् में से वादी संख्या 1 व 2 के नाम व हणमान, गोरूराम पुत्रगण कुशलाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त हणमान, गोरूराम पुत्रगण कुशलाराम एक ही परिवार खानदान से होकर उक्त भूमियाँ पक्षकारान् की पारिवारिक पैत्रृक भूमियाँ होना प्रकट होता है। जिसका पक्षकारान् के बुजुर्गो के द्वारा पारिवारिक बाहमी बंटवारा किया जाकर पूर्व वादपत्र उनवानी बजरंगलाल वगै0 बनाम् कालूराम वगै0 दावा मुकदमा संख्या 152/2011 की पत्रावली में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रमाणित होता है। उक्त राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमियों बाबत निर्णय पारित किया जाकर डिकी जारी होना भी स्पष्ट प्रमाणित होता है। जिससे भी वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश करना भी प्रमाणित होता है। [illegible] साक्ष्य में वादीगण कालूराम व गोपाल के द्वारा प्रस्तुत [illegible] बजरंगलाल व फूलाराम के द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्ठि होती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के द्वारा वादीगण के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के दावा पत्र को स्वीकार किया जाना ही प्रकट होता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा व पूर्व वादपत्र संख्या 182/2011 उनवानी बजरंग लाल वगै0 बनाम कालूराम वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2012 एवं अन्य दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर वादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजियात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 8.01 है0 में वादीगण संख्या 1, 2 व मृतक हणमान के नाम दर्ज हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 कुल 1/3 में 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/6 के वादीगण संख्या 3 ता 12 हिस्सा बराबर–बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 653 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 मे दर्ज हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/3 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज में से कुल हिस्सा 1/2 वादी नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/2 हिस्सा वादी नं. 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1687/703, 1688/703, 654, 662 कुल किता 4 कुल रकबा 3.23 है0 मे हिस्सा 1/9 वादी संख्या 1, 1/9 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/9 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि में उक्त हिस्सा 1/3 मे हिस्सा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/6 हिस्सा में वादीगण संख्या 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 647, 652 कुल किता 2 कुल रकबा 4.64 है0 मे हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 हिस्सा 3/20–3/20 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के कुल 6/10 हिस्सा व हिस्सा 1/5 मृतक [illegible] भूमि में हिस्सा 1/2 में आधी भूमि हिस्सा 1/4 के वादी[illegible]ख्या 2 व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 [illegible] व भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.12 है0 में हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1 व [illegible]ा 1/10 वादी संख्या 2 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

हिस्सा 1/5 हणमान पुत्र कुशलाराम व हिस्सा 1/10 – 1/10 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि में हिस्सा 1/2 के वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का नाम व मृतक गोरूराम पुत्र कुशलाराम का नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 8.01 है0 में वादीगण संख्या 1, 2 व मृतक हणमान के नाम दर्ज हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 कुल 1/3 में 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/6 के वादीगण संख्या 3 ता 12 हिस्सा बराबर–बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 649, 650, 653 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 मे दर्जं हिस्सा 1/3 वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/3 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज से कुल हिस्सा 1/2 वादी नम्बर 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/2 हिस्सा वादी नं. 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1687/703, 1688/703, 654, 662 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

19/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किता 4 कुल रकबा 3.23 है0 मे हिस्सा 1/9 वादी संख्या 1, 1/9 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/9 मृतक हणमान पुत्र कुशलाराम के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि में उक्त हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा के वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा बराबर–बराबर व 1/6 हिस्सा में वादीगण संख्या 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर एवं भूमि खसरा नम्बर 647, 652 कुल किता 2 कुल रकबा 4.64 है0 मे हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 हिस्सा 3/20–3/20 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के कुल 6/10 हिस्सा व हिस्सा 1/5 मृतक गोरूराम के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि मे हिस्सा 1/2 में आधी भूमि हिस्सा 1/4 के वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/4 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.12 है0 में हिस्सा 1/10 वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/10 वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/5 हणमान पुत्र कुशलाराम व हिस्सा 1/10 – 1/10 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि में हिस्सा 1/2 के वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/2 के वादीगण नम्बर 3 ता 12 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का नाम व मृतक गोरूराम पुत्र कुशलाराम का नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore
19/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested

करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/12/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:10 IST
Reason: SelfAttested